सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
अग्रहायण 22, शुक्रवार, *शाके 1946*- दिसम्बर 13, *2024*	
Agrahayana 22, Friday, Saka 1946- December 13, 2024	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 30, 2024

संख्या social media policy 2024-00788 :-सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने कंटेंट के माध्यम से सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स स्थापित हुए हैं। यह **सोशल मीडिया नीति**सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स के काम को बेहतर बनाने में मदद करेगी।

भाग- अ : सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर्स/ हैंडल्स संचालकों / सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स द्वारा प्रचार-प्रसार

राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक त्वरित रूप से पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के भीतर / राज्य के बाहर से संचालित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यथा फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब इत्यादि के अकाउंट होल्डर/संचालक/सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स को आवश्यकता व उपयोगिता की स्थिति में विज्ञापन स्वीकृत किए जाएंगे।

सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर/संचालक/सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स की श्रेणी में व्यक्ति विशेष अथवा केंद्र व राज्य सरकार में पंजीकृत कंपनी/ फर्म या उसके प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।

विज्ञापन हेतु निर्धारित मानदंड एवं अन्य शर्तें:-

1. विज्ञापन हेतु सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर/संचालक/सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स की निम्न चार श्रेणी होंगी-

(क) श्रेणी ए- न्यूनतम 10 लाख सब्सक्राइबर / फॉलोअर्स एवं 5 लाख रीच/ इम्प्रेशन विगत छह माह औसत

(ख) श्रेणी बी - न्यूनतम 5 लाख सब्सक्राइबर / फॉलोअर्स एवं 2.5 लाख रीच/ इम्प्रेशन विगत छह माह औसत

(ग) श्रेणी सी - न्यूनतम 1 लाख सब्सक्राइबर / फॉलोअर्स एवं 50 हजार रीच/ इम्प्रेशन विगत छह माह औसत

(घ) श्रेणी डी - न्यूनतम 10 हजार सब्सक्राइबरफॉलोअर्स एवं 5 हजार रीच/ इम्प्रेशन विगत छह माह औसत

2.सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर के हैंडल/पेज/ चैनल पर विज्ञापन के लिए विभागीय स्तर पर समिति गठित की जाएगी। समिति की अनुशंषा के आधार पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञापन जारी किए जाएंगे।

3. सोशल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल को नियमित रूप से अपडेट किया जाना अनिवार्य होगा।

4. राजस्थान की कला, संस्कृति एवं विकास/समाचार संबंधी कंटेंट को प्राथमिकता से पोस्ट करने वाले राजस्थान राज्य के सोशल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल को विज्ञापन की दृष्टि से प्राथमिकता दी जाएगी।

5. सोशल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल कम से कम दो वर्ष से संचालित होना अनिवार्य है।

6. विज्ञापन हेतु आवेदन के समय पिछले छह माह की सोशल मीडिया एनालिटिक्स रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। छह माह पूर्व में भी सोशल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल का अपनी आवेदित कैटेगिरी का कम से कम 50प्रतिशतसब्स्क्राइबर या फॉलोअर्स रहे हों अर्थात किसी भी कैटेगिरी की 50प्रतिशत से अधिक सब्स्क्राइबर या फॉलोअर्स की संख्या छह माह से पुरानी हो।

7. श्रेणी अनुसार निम्नानुसार अधिकतम निर्धारित राशि के प्रति माह विज्ञापन देय होंगे-

ए श्रेणी - अधिकतम 5 लाख रुपए प्रति माह

बी श्रेणी - अधिकतम 2 लाख रुपए प्रति माह

सी श्रेणी- अधिकतम 50 हजार रुपए प्रति माह

डी श्रेणी- अधिकतम 10 हजार रुपए प्रति माह

8. राज्य सरकार द्वारा यदि यह आवश्यक समझा जाए तो विभागीय समिति की अनुशंषा पर अपने क्षेत्र के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति/सोशल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल को बिना किसी कैटेगिरी एवं दरों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त वर्णित अधिकतम राशि का विज्ञापन जारी किया जा सकेगा।

9. विज्ञापन दर माह वार निम्न प्रकार रहेंगी, कम दिवस के विज्ञापन पर प्रो-रेटा के आधार पर गणना की जाएगी।

अ. फेसबुक और इंस्टाग्राम (रील अथवा वीडियो हेतु)

कैटेगिरी ए- (एक माह हेतु न्यूनतम डिलीवरेबल्स- 50 हजार व्यूज)

0 से 90सेकेण्ड तक के रील्स के प्रदर्शन हेतु दर रुपये 50 हजार प्रति विज्ञापन देय होगा। किसी विषय पर रील निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि 70 हजार रुपये देय होगी।

90सेकेण्ड से अधिक के वीडियो प्रदर्शन हेतु दर रुपये 80 हजार प्रति विज्ञापन देय होगा। किसी विषय पर वीडियो निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि 1 लाख रुपये देय होगी।

कैटेगिरीबी- (एक माह हेतु न्यूनतम डिलीवरेबल्स- 25 हजार व्यूज)

0 से 90सेकेण्ड तक के रील्स के प्रदर्शन हेतु दर रुपये 45 हजार प्रति विज्ञापन देय होगा। किसी विषय पर रील निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि 60 हजार रुपये तक देय होगी।

90सेकेण्ड से अधिक के वीडियो प्रदर्शन हेतु दर रुपये 75 हजार प्रति विज्ञापन देय होगा। किसी विषय पर वीडियो निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि 95 हजार रुपये तक देय होगी।

कैटेगिरी सी- (एक माह हेतु न्यूनतम डिलीवरेबल्स- 5 हजार व्यूज)

0 से 90सेकेण्ड तक के रील्स के प्रदर्शन हेतु दर रुपये 20 हजार प्रति विज्ञापन देय होगा। किसी विषय पर रील निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि 30 हजार रुपये तक देय होगी।

90सेकेण्ड से अधिक के वीडियो प्रदर्शन हेतु दर 25 हजार रुपये प्रति विज्ञापन देय होगा। किसी विषय पर वीडियो निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि 40 हजार तक देय होगी।

कैटेगिरीडी- (एक माह हेतु न्यूनतम डिलीवरेबल्स- 500व्यूज)

0 से 90सेकेण्ड तक के रील्स तक के प्रदर्शन हेतु दर रुपये 5 हजार प्रति विज्ञापन देय होगा। किसी विषय पर वीडियो/रील/पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धन राशि 7 हजार रुपये तक देय होगी।

90सेकेण्ड से अधिक के वीडियो प्रदर्शन हेतु दर 8 हजार रुपये प्रति विज्ञापन देय होगा। किसी विषय पर वीडियो निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धनराशि 10 हजार रुपये तक देय होगी।

ब. फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स (पोस्ट के लिए)

कैटेगिरी ए - (एक माह हेतु न्यूनतम डिलीवरेबल्स- 50 हजार रीच/व्यूज/लाइक्स)

एक पोस्ट (तीन फोटो तक) किए जाने पर दर रुपये 10 हजार देय होगी।

कैटेगिरीबी - (एक माह हेतु न्यूनतम डिलीवरेबल्स- 25 हजार रीच/व्यूज/लाइक्स)

एक पोस्ट/ट्वीट किए जाने पर दर 5 हजार रुपये देय होगा।

कैटेगिरी सी - (एक माह हेतु न्यूनतम डिलीवरेबल्स- 5 हजार रीच/व्यूज/लाइक्स)

एक पोस्ट/ट्वीट किए जाने पर दर 3 हजार रुपये देय होगा।

कैटेगिरीडी - (एक माह हेतु न्यूनतम डिलीवरेबल्स- 500रीच/व्यूज/लाइक्स)

एक पोस्ट/ट्वीट प्रदर्शित किए जाने पर दर 1 हजार रुपये देय होगा।

स. यूट्यूब

कैटेगिरी ए- (एक माह हेतु न्यूनतम डिलीवरेबल्स- 50 हजार व्यूज)

60सेकंड अथवा अधिक अवधि का एक वीडियोअपलोड करना- 50 हजार रुपए

60सेकंड अथवा अधिक अवधि का एक वीडियो निर्माण व अपलोड करना- 70 हजार रुपए

प्रति वीडियो पर थंबनेल - 10 हजार रुपए

सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर/संचालक/सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स द्वारा अपने वीडियो में विभाग का विज्ञापन वीडियो जोड़ना - 10 हजार रुपए

प्रति वीडियोएल- बैंड विज्ञापन - 10 हजार रुपए

प्रति शॉर्ट्स (10सेकंड से 30सेकंड अवधि तक)- 10 हजार रुपए

कैटेगिरीबी- (एक माह हेतु न्यूनतम डिलीवरेबल्स- 25 हजार व्यूज)

60सेकंड अथवा अधिक अवधि का एक वीडियोअपलोड करना- 40 हजार रुपए

60सेकंड अथवा अधिक अवधि का एक वीडियो निर्माण व अपलोड करना- 60 हजार रुपए

प्रति वीडियो पर थंबनेल - 5 हजार रुपए

सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर/संचालक/सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स द्वारा अपने वीडियो में विभाग का विज्ञापन वीडियो जोड़ना - 5 हजार रुपए

प्रति वीडियोएल- बैंड विज्ञापन - 5 हजार रुपए

प्रति शॉर्ट्स (10सेकंड से 30सेकंड अवधि तक)- 5 हजार रुपए

कैटेगिरी सी- (एक माह हेतु न्यूनतम डिलीवरेबल्स- 5 हजार व्यूज)

60सेकंड अथवा अधिक अवधि का एक वीडियोअपलोड करना- 30 हजार रुपए

60सेकंड अथवा अधिक अवधि का एक वीडियो निर्माण व अपलोड करना- 50 हजार रुपए

प्रति वीडियो पर थंबनेल - 3 हजार रुपए

सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर/संचालक/सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स द्वारा अपने वीडियो में विभाग का विज्ञापन वीडियो जोड़ना – 3 हजार रुपए

प्रति वीडियोएल- बैंड विज्ञापन - 3 हजार रुपए

प्रति शॉर्ट्स (10सेकंड से 30सेकंड अवधि तक)- 3 हजार रुपए

कैटेगिरीडी- (एक माह हेतु न्यूनतम डिलीवरेबल्स- 500व्यूज)

60सेकंड अथवा अधिक अवधि का एक वीडियोअपलोड करना- 8 हजार रुपए

60सेकंड अथवा अधिक अवधि का एक वीडियो निर्माण व अपलोड करना- 10 हजार रुपए

प्रति वीडियो पर थंबनेल – 1 हजार रुपए

सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर/संचालक/सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स द्वारा अपने वीडियो में विभाग का विज्ञापन वीडियो जोड़ना - 1 हजार रुपए

प्रति वीडियोएल- बैंड विज्ञापन - 1 हजार रुपए

प्रति शॉर्ट्स (10सेकंड से 30सेकंड अवधि तक)- 1 हजार रुपए

व्यूज में कमी होने पर देय राशि निम्न प्रकार होगी-

व्यूज	देय राशि
0-25प्रतिशतडिलीवरेबल्स	शून्य

26-50प्रतिशतडिलीवरेबल्स25प्रतिशत

51-75प्रतिशतडिलीवरेबल्स50प्रतिशत

76-99प्रतिशतडिलीवरेबल्स75प्रतिशत

10. सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर/संचालक/सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स के सोशल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल पर विज्ञापन के लिए उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा।

11. सूचीबद्धता हेतु आवश्यक प्रपत्र में निम्न बिंदु होंगे-

a. फर्म का नाम एवं पंजीकरण से संबंधित प्रपत्र

b. जी.एस. टी. नंबर / व्यक्तिगत स्तर पर संचालित सोशल मीडिया अकाउंट्स के संचालक काआयकर रिटर्न का प्रमाण पत्र ।

c.पैन नंबर

d. बैंक खाते का पूर्ण विवरण

e. फर्म के अधिकृत व्यक्ति/व्यक्तिगत स्तर पर संचालित सोशल/डिजिटल मीडिया के अकाउंटके संचालक का आधार कार्ड

f. अधिकृत व्यक्ति का संपर्क विवरण

g. सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर/संचालक/सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स को सूचीबद्धता के समय इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उनके पास आवेदित यूट्यूब चैनल/फेसबुक पेज/इंस्टाग्रामहैंडल/एक्स का स्वामित्व है।

12. जिस सोशल मीडिया हैंडल / पेज / चैनल को विज्ञापन जारी किए जाएंगे, उसके अकाउंट का कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए।

13. यदि सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय है तो उसे एक ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे।

14. सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर/संचालक/सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स नैतिक आचरण से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर विज्ञापन का पात्र नहीं होंगे। जिन नैतिक आचरण से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में न्यायालय में चालान पेश हो गया हो, उनके संबंध में निर्णय होने तक विज्ञापन हेतु विचार नहीं किया जा सकेगा।

15. सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर/संचालक/सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स द्वारा भी कंटेंट बनाया जा सकता है। कंटेंट राजस्थान के जनकल्याणकारी/शासकीय/सांस्कृतिक विषयों पर आधारित होना चाहिए। कंटेंट के अनुमोदन उपरांत उसे विज्ञापन के रूप में विभाग द्वारा जारी किया जा सकता है।

16. प्रदर्शित किए गए कंटेंट के व्यूज/इम्प्रेशन वास्तविक/ऑर्गेनिक ही होने चाहिए।

17. सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर/संचालक/सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी सही है। यदि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी झूठी या गलत पाई जाती है, तो विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा और कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

18. यदि कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर/संचालक/सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स नफरत फैलाने वाले भाषण, हिंसक सामग्री, अश्लील साहित्य, नशीले पदार्थ, क्रूर व असंवेदनशील सामग्री, झूठी खबरें, गलत बयानी या आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करता है तो उसे विज्ञापन हेतु सोशल मीडिया हैंडल / पेज / चैनल के लिए तय पैनल से निलंबित कर दिया जाएगा एवं आईटी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

19. सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर/संचालक/सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स द्वारा विज्ञापन के बिल के साथ सोशल मीडिया एनालिटिक्स की रिपोर्ट मय इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उनके सोशल मीडिया हैंडल / पेज / चैनल में विज्ञापन प्रदर्शित या प्रसारित किया गया है।

20. विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया राजस्थान संवाद के माध्यम से की जाएगी।

21. पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर विभाग द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर/ संचालक/सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स द्वारा प्रचार-प्रसार के लिए पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे।

22. किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर/संचालक/सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स को जारी किए जाने वाला विज्ञापन समाचार पत्र, पत्रिका या किसी अन्य प्रकाशन को आवंटित किए गए विज्ञापन के रूप में ही माना जाएगा। राजस्थान विज्ञापन नियम, 2001 के नियम 11(5) के अनुसार, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर/संचालक/सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स को विज्ञापन जारी करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

23. उक्त नीति के किसी भी उपबंध में संशोधन के लिए राज्य सरकार अधिकृत होगी।

भाग ब :सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गूगल, ओटीटीप्लेटफॉर्म एवं ऐप्स पर प्रचार-प्रसार

राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और निर्णयों का आमजन के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स आदि), गूगल, ओटीटीप्लेटफॉर्म (हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, जी5, सोनी लिव आदि) एवं प्रचलित न्यूज मोबाइल ऐप्स एवं अन्य लोकप्रिय ऐप्स पर विज्ञापन जारी कर प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा आवश्यकता होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गूगल, ओटीटीप्लेटफॉर्म और ऐप्स पर विज्ञापन देने के लिए मीडिया एजेंसियों को राजस्थान संवाद के माध्यम से निविदा जारी कर इम्पैनल किया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा इन इम्पैनल्ड मीडिया एजेंसियों के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गूगल, ओटीटीप्लेटफॉर्म और ऐप्स पर विज्ञापन जारी किया जाएगा।

एजेंसी द्वारा विज्ञापन अवधि समाप्त होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट विभाग में सब्मिट की जाएगी।

सभी प्लेटफार्म्स पर विज्ञापन देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्रिएटिवकंटेंट उस प्लेटफॉर्म के लिए उपयुक्त हो।

एजेंसी द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाएगा और तदनुसारनिविदा में वर्णित होंगे।

उपरोक्त के क्रियान्वयन के लिए दरों के निर्धारण, उनके डिलीवरेबल्स, कंटेंट का प्रकार, विज्ञापन का प्रकार आदि के संबंध में पृथक से राज्य सरकार अलग से आदेश जारी कर सकेगी। दरों के संबंध में निविदा के आधार पर चयनित एजेंसी एवं उपरोक्त प्लेटफॉर्म की स्वयं की निर्धारित दरों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जाएगा।

भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ आउटरीच द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ओटीटीप्लेटफॉर्म, ऐप्स और गूगल पर विज्ञापन के संबंध में समय-समय पर प्रचलित नियम विभाग द्वारा जारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गूगल, ओटीटीप्लेटफॉर्म और ऐप्स पर विज्ञापन नीति पर लागू किए जा सकेंगे।

पूर्व में राजस्थान राजपत्रविशेषांक में साधिकार प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ.2(1)गृह/संपर्क/सचि./प्रको./2023 दिनांक 26 जून 2023 'सोशल मीडिया हैंडल्स संचालकों/सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को विज्ञापन जारी करने हेतु पॉलिसीगाईडलाइन' का निरसन किया जाता है।

विजयपाल सिंह,
आयुक्त एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।